रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228167 SG-DL-E-08072021-228167

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ़ 16, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 70 No. 181] DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943 [N. C. T. D. No. 70

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय–IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

संख्या 84/2020-राज्य कर

सं.फा. 03(102) वित्त (व्यय–IV) / 2021–22 / डीएस– IV / 540.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के साथ पिठत धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जो की एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न हैं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक का कुल आवर्त है और जिन्होंने दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61क के उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो निम्निलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जनवरी, 2021 से प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करेंगे और उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक मास में शोध्य कर का संदाय करेंगे, अर्थात:—

(i) ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को पूर्ववर्ती मास के लिए शोध्य विवरणी दाखिल की जा चुकी है;

3751 DG/2021 (1)

- (ii) जहां ऐसे विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया है, वहां वे भविष्यवर्ती कर अवधियों के लिए चयनित विकल्प के अनुसार विवरणी दाखिल करते रहेंगे, यदि वे उसका पुनरीक्षण नहीं करते ।
- (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका कुल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में त्रिमास के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, तो वह उत्तरवर्ती त्रिमास के पहले मास से त्रैमासिक आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा ।
- (3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसने अक्तूबर, 2020 की कर अविध के लिए विवरणी 30 नवम्बर, 2020 को या उसके पूर्व दाखिल कर दी है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त नियमों के नियम 61क के उपनियम (1) के तहत उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाउल्लिखित विवरणी के मासिक या त्रैमासिक आधार पर दाखिल करने का विकल्प चुना है:—

सारणी

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	समझा गया विकल्प
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर—1 दाखिल किया है ।	त्रैमासिक विवरणी
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में मासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर—1 दाखिल किया है ।	मासिक विवरणी
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक है ।	त्रैमासिक विवरणी

- (4) ऊपर सारणी के स्तंभ (2) के अन्तर्गत आने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, 5 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक अवधि के दौरान सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिफॉल्ट विकल्प बदल सकते हैं ।
- 2. यह अधिसूचना 10 नवम्बर, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर मनोज कुमार,उप सचिव—IV (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2021

No. 84/2020- State Tax

No. F.3(102)/Fin.(Exp-IV)/2021-22/DS-IV/540.—In exercise of the powers conferred by proviso to subsection (1) of section 39 read with proviso to sub-section (7) of section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the preceding financial year, and who have opted to furnish a return for every quarter, under sub-rule (1) of rule 61A of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules) as the class of persons who shall, subject to the following conditions and restrictions, furnish a return for every quarter from January, 2021 onwards, and pay the tax due every month in accordance with the proviso to sub-section (7) of section 39 of the said Act, namely:—

- (i) the return for the preceding month, as due on the date of exercising such option, has been furnished:
- (ii) where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods, unless they revise the same.
- (2) A registered person whose aggregate turnover crosses five crore rupees during a quarter in a financial year shall not be eligible for furnishing of return on quarterly basis from the first month of the succeeding quarter.

(3) For the registered person falling in the class specified in column (2) of the Table below, who have furnished the return for the tax period October, 2020 on or before 30th November, 2020, it shall be deemed that they have opted under sub-rule (1) of rule 61A of the said rules for the monthly orquarterly furnishing of return as mentioned in column (3) of the said Table:-

TABLE

Sl. No.	Class of registered person	Deemed Option
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR-1 on quarterly basis in the current financial year	Quarterly return
2.	Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR-1 on monthly basis in the current financial year	Monthly return
3.	Registered persons having aggregate turnover more than 1.5 crore rupees and up to 5 crore rupees in the preceding financial year	Quarterly return

- (4) The registered persons referred to in column (2) of the said Table, may change the default option electronically, on the common portal, during the period from the 5th day of December, 2020 to the 31st day of January, 2021.
- (5) This notification shall come into force with effect from the 10th day of November, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)